

22/12/25

पञ्चमली पासचे निर्वाचे पेरा हई। उयय ज
उपस्थित। वाउ वाशी स्वीकार डिमा जाता हई किहल
डिमा अलग से शामिल डिमा जाता हई डिफो यरी
हो। पञ्चमली नंबर से क्य हो।

आदेश सुनामा गमा।


सपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Gems
2022/3/2



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 226/2022 G.C.M.S.-2022/312 दायर दिनांक : 17.08.2022
पूराराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान हाल वार्ड नं. 26,
सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) -वादी

बनाम

1. हजारीराम (फौत) पुत्र किशनाराम जाति जाट
 - 1/1. हनुमान पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 7, अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) (फौत)
 - 1/1/1. पानीदेवी धर्मपत्नी हनुमान जाति जाट साकिन अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
 - 1/1/2. सुशीला पुत्री हनुमान धर्मपत्नी मनोहरलाल जाति जाट साकिन निरवाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
 - 1/1/3. कविता पुत्री हनुमान धर्मपत्नी मुकेश मील जाति जाट साकिन निरवाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
 - 1/1/4. मन्जु कुमारी पुत्री हनुमान धर्मपत्नी राहुल पूनिया जाति जाट साकिन चक 18 एस.पी.डी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
 - 1/1/5. रमेश कुमार पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
 - 1/1/6. अशोक कुमार पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
 - 1/2. दलीप पुत्र हजारीराम जाति जाट साकिन वार्ड नं. 7, अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राज. हाल आबाद जे-405 गोल्डन डोमास जगतपुरा फाटक के पास, जयपुर
 - 1/3. अनिल पुत्र हजारीराम जाति जाट साकिन वार्ड नं. 7, अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राज. हाल आबाद के 2, 302 गोल्डन डोमास जगतपुरा फाटक के पास, जयपुर
 - 1/4. गोपालराम पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 5, अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. व्यवस्थापक, ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स वर्तमान पंजाब नेशनल बैंक, शाखा सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

-प्रतिवादीगण

क्रमशः पेज 2 पर




उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(2)

[226/2022 पूराराम बनाम हजारीराम (फौत) जरिये वारिसान हनुमान वगैरह व अन्य)

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :

1. श्री भगवान दत्त शर्मा, अभिभाषक वादी
2. श्री शिशपाल शर्मा, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1/2 से 1/4
3. पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक : 22.12.2025



पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। वादी व प्रतिवादीगण सं. 1/2 से 1/4 के अभिभाषकगण उपस्थित। प्रतिवादीगण सं. 1/1/1 से 1/1/6 के विरुद्ध दिनांक 27.08.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित हुए थे, किन्तु पूर्व में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 11.11.2025 को तस्दीक करने हेतु दिनांक 16.12.2025 के स्वयं उपस्थित हुए। इसी प्रकार प्रतिवादीगण सं. 1/2 से 1/4 भी स्वयं उपस्थित हुए। आज पत्रावली निर्णय हेतु रखी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में, तथ्य पत्रावली इस प्रकार से हैं कि वादी पूराराम द्वारा एक वाद खाता विभाजन मुताबिक कब्जा विशिष्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में होने का कथन करते हुए प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 के नाम खातेदारी कृषि भूमि वाके चक अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के खाता सं. 140/36 के पत्थर नं. 62/380 (8) के किला नं. 6/0.253 है0, 11 से 15/1.265 है0, 17/1 में 0.228 है0, 18/2 में 0.202 है0, 19/2 में 0.190 है0, 20/1 में 0.139 है0 = 2.277 है0 व पत्थर नं. 63/380 (9) के किला नं. 1/1 में 0.228 है0, 2 से 9/2.024 है0, 13/0.253 है0, 15/0.253 है0 = 2.758 है0, कुल 5.035 है0 (3.517 है0 नाली दोयम व 1.518 है0 बाराणी) भूमि एवं चक 13 एस.एल.डी. तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 92/30 के पत्थर नं. 64/379 (6) के किला नं. 16/0.253 है0, 25/0.253 है0 = 0.506 है0 कमाण्ड तथा चक अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 62/1 के पत्थर नं. 63/380 (9) के किला नं. 1/2 = 0.025 है0 गै.मु.रास्ता भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त तीनों खातों में अंकित कुल 5.566 है0 भूमि में वादी अपने नाम अंकित 1/2 हिस्सा यानि 2.783 है0 भूमि का अंकित काश्तकार है

B7/2012
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

क्रमशः पेज 3 पर

(3)

[226/2022 पूराराम बनाम हजारीराम (फौत) जरिये वारिसान हनुमान वगैरह व अन्य)

एवं बाहमी बंटवारा कर भूमि काश्त कर रहे हैं। प्रतिवादी सं. 1 का स्वर्गवास हो चुका है, उनके वारिसान प्रतिवादीगण सं. 1/1 से 1/4 हैं। वादी ने उक्त तीनों खातों का विभाजन कर अपने नाम अंकित 1/2 हिस्सा भूमि का मौका पर कब्जा अनुसार अपना खाता अलग कायम करने का निवेदन किया।


वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1/1 से 1/4 की ओर से अभिभाषक उपस्थित आये और जवाबदावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर जैरवाद भूमि का अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब के आधार पर, रास्ता व खाला को ध्यान में रखते हुए खाता विभाजन किये जाने का निवेदन किया। बाद जवाबदावा प्रतिवादी सं. 1/1 का स्वर्गवास हो गया व उनके वारिसों को पक्षकार बनाकर संशोधित वाद शीर्षक प्राप्त किया गया। वाद चलन के दौरान पक्षकारान में दिनांक 11.11.2025 को राजीनामा होकर अदालत में प्रस्तुत हुआ जो दिनांक 16.12.2025 को तस्दीक हुआ एवं राजीनामा अनुसार वाद में निर्णय करने की प्रार्थना की।

राजीनामा तस्दीक होने पर पत्रावली पर तर्क सुने गये। विद्वान अभिभाषक वादी ने मुताबिक राजीनामा वाद में निर्णय किये जाने की प्रार्थना की। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1/2 से 1/4 ने भी राजीनामा अनुसार वाद में निर्णय करने की प्रार्थना की ताकि विवाद न हो। इसी प्रकार शेष प्रतिवादीगण सं. 1/1/1 से 1/1/6 ने भी राजीनामा अनुसार खाता विभाजन किये जाने का निवेदन किया। राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज ने राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय करने की प्रार्थना की। प्रतिवादी सं. 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश हो चुके हैं।

राजीनामा के तस्दीक होने व तर्क सुनने के बाद तर्कों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का पठन व मनन करने के उपरान्त पाया गया कि किसी भी पक्षकार को तीनों खातों की जैरवाद कुल 5.566 है० नाली दायम/बारानी/कमाण्ड/ रास्ता भूमि में वादी के नाम 1/2 हिस्सा भूमि होने से एतराज नहीं है एवं सभी पक्षकारान राजीनामा अनुसार खाता विभाजन करवाने के लिए सहमत हैं। खाता विभाजन करवाने का हर अंकित काश्तकार को अधिकार है ताकि भविष्य की

क्रमशः पेज 4 पर




उपखण्ड अधिकारी
मुरतगढ़ (राज.)

(4)

[226/2022 पूराराम बनाम हजारीराम (फौत) जरिये वारिसान हनुमान वगैरह व अन्य)

परेशानियों से बचा जा सके। राजीनामा के अनुसार वादी पूराराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान हाल वार्ड नं. 26, सूरतगढ़ को उक्त तीनों खातों में बाद विभाजन निम्न प्रकार से भूमि खातेदारी अंकित करने पर सहमति-पत्र में पक्षकारान द्वारा सहमति दी गई है। मुताबिक राजीनामा पूराराम (वादी) को चक 13 एस.एल.डी. की 'चालू जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 73 के खाता सं. 92 के पत्थर नं. 64/379 के किला नं. 16/0.253 है०, 25/0.253 है० = 0.506 है० कमाण्ड व चक अमरपुरा जाटान की चालू जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 73 के खाता सं. 140 के पत्थर नं. 63/380 के किला नं. 1/0.228 है० नाली दायम व जमाबन्दी खाता सं. 62 में गै.मु.रास्ता 0.025 है०, 2/0.127 है० नाली दायम पश्चिम से पूर्व लम्बाई में (दक्षिणी पासा), 3/0.089 है० नाली दायम (उत्तर-पूर्वी कोना व उत्तर से दक्षिण लम्बाई में), 8/0.164 है० नाली दायम (उत्तर से दक्षिण लम्बाई में), 9/0.253 है० नाली दायम, 13/0.253 है० नाली दायम व पत्थर नं. 62/380 के किला नं. 11/0.152 है० बारानी (उत्तर-दक्षिण लम्बाई में व किला नं. 12 के चिपता), 12/0.253 है० बारानी, 13/0.253 है० नाली दायम, 18/0.202 है० बारानी, 19/0.190 है० बारानी, 20/0.088 है० बारानी (उत्तर-दक्षिण लम्बाई में व किला नं. 19 के चिपता), कुल 2.783 है० भूमि दी गई है तथा प्रतिवादीगण गोपालचन्द वगैरह को चक अमरपुरा जाटान की चालू जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 73 के खाता सं. 140 के पत्थर नं. 63/380 के किला नं. 2/0.126 है० नाली दायम (पश्चिम से पूर्व लम्बाई में), 3/0.164 है० नाली दायम (पश्चिम से पूर्व व उत्तर दक्षिण लम्बाई में), 4 से 7/1.012 है० नाली दायम, 8/0.089 है० नाली दायम (उत्तर दक्षिण लम्बाई में), 15/0.253 है० बारानी व पत्थर नं. 62/380 के किला नं. 6/0.253 है० नाली दायम, 14-15/0.506 है० नाली दायम, 11/0.101 है० बारानी (उत्तर से दक्षिण लम्बाई में व पत्थर नं. 63/380 के किला नं. 15 के चिपता), 17/0.228 है० बारानी, 20/0.051 है० बारानी (पत्थर नं. 63/380 के किला नं. 16 के चिपता) = 2.783 है० नाली दायम व बारानी भूमि प्राप्त होगी। उपरोक्त राजीनामा अनुसार वाद स्वीकार कर डिक्री की प्रार्थना की गई है।



81
9/12
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

क्रमशः पेज 5 पर

(5)

[226/2022 पूराराम बनाम हजारीराम (फौत) जरिये वारिसान हनुमान वगैरह व अन्य)
इसमें राज्य सरकार के हित किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अतः वाद
वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार कर
जैरवाद खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 13 एस.एल.डी. तहसील सूरतगढ़ के
खाता सं. 92/30 के पत्थर नं. 64/379 (6) के किला नं. 16/0.253 है0,
25/0.253 है0 = 0.506 है0 कमाण्ड भूमि एवं चक अमरपुरा जाटान तहसील
सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के खाता सं. 140/36 के पत्थर
नं. 62/380 (8) के किला नं. 6/0.253 है0, 11 से 15/1.265 है0, 17/1 में
0.228 है0, 18/2 में 0.202 है0, 19/2 में 0.190 है0, 20/1 में 0.139 है0 =
2.277 है0 व पत्थर नं. 63/380 (9) के किला नं. 1/1 में 0.228 है0, 2 से
9/2.024 है0, 13/0.253 है0, 15/0.253 है0 = 2.758 है0, कुल 5.035 है0
(3.517 है0 नाली दोयम व 1.518 है0 बारानी) भूमि व इसी चक अमरपुरा जाटान
तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 62/1 के पत्थर नं. 63/380 (9) के किला नं.
1/2 = 0.025 है0 गै.मु.रास्ता, इस प्रकार उक्त तीनों खातों की कुल 5.566 है0
भूमि का मुताबिक राजीनामा खाता विभाजन स्वीकार किया जाता है। इसी
अनुसार वादी पूराराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान हाल
वार्ड नं. 26, सूरतगढ़ को उसको 1/2 हिस्सा भूमि में निम्न भूमि दी जाती है:-
(1) वादी पूराराम पुत्र बीरबलराम को दी जाने वाली भूमि - चक 13 एस.एल.
डी. तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 92/30 के पत्थर नं. 64/379 (6) के
किला नं. 16/0.253 है0, 25/0.253 है0 = 0.506 है0 कमाण्ड एवं चक
अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के
खाता सं. 140/36 के पत्थर नं. 62/380 (8) के किला नं. 11/0.152 है0
बारानी (उत्तर-दक्षिण लम्बाई में व किला नं. 12 के चिपता), 12/0.253 है0
बारानी, 13/0.253 है0 नाली दोयम, 18/2 में 0.202 है0 बारानी, 19/2 में
0.190 है0 बारानी, 20/1 में 0.088 है0 बारानी (उत्तर-दक्षिण लम्बाई में व
किला नं. 19 के चिपता) = 1.138 है0 (0.253 है0 नाली दोयम व 0.885 है0
बारानी) व पत्थर नं. 63/380 (9) के किला नं. 1/1 में 0.228 है0 नाली
दोयम, 2/0.127 है0 नाली दोयम पश्चिम से पूर्व लम्बाई में (दक्षिणी पासा),



[Handwritten Signature]
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

क्रमशः पेज 6 पर

(6)

[226/2022 पूराराम बनाम हजारीराम (फौत) जरिये वारिसान हनुमान वगैरह व अन्य)

3/0.089 है० नाली दोयम (उत्तर-पूर्वी कोना व उत्तर से दक्षिण लम्बाई में), 8/0.164 है० नाली दोयम (उत्तर से दक्षिण लम्बाई में), 9/0.253 है० नाली दोयम, 13/0.253 है० नाली दोयम = 1.114 है० नाली दोयम, कुल 2.252 है० (1.367 है० नाली दोयम व 0.885 है० बारानी) व इसी चक अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 62/1 के पत्थर नं. 63/380 (9) के किला नं. 1/2 = 0.025 है० गै.मु.रास्ता, इस प्रकार उक्त तीनों खातों में कुल 2.783 है० खातेदारी कृषि भूमि।



(2) गोपालराम उर्फ गोपालचन्द वगैरह वारिसान हनुमानराम पुत्र हजारीराम को दी जाने वाली भूमि :- चक अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के खाता सं. 140/36 के पत्थर नं. 62/380 (8) के किला नं. 6/0.253 है० नाली दोयम, 11/0.101 है० बारानी (उत्तर से दक्षिण लम्बाई में व पत्थर नं. 63/380 के किला नं. 15 के चिपता), 14-15/0.506 है० नाली दोयम, 17/0.228 है० बारानी, 20/0.051 है० बारानी (पत्थर नं. 63/380 के किला नं. 16 के चिपता) = 1.139 है० व पत्थर नं. 63/380 (9) के किला नं. 2/0.126 है० नाली दोयम (पश्चिम से पूर्व लम्बाई में), 3/0.164 है० नाली दोयम (पश्चिम से पूर्व व उत्तर दक्षिण लम्बाई में), 4 से 7/1.012 है० नालीदोयम, 8/0.089 है० नाली दोयम (उत्तर दक्षिण लम्बाई में), 15/0.253 है० बारानी = 1.644 है०, कुल 2.783 है० (2.150 है० नाली दोयम व 0.633 है० बारानी) खातेदारी भूमि।

इसी अनुसार वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। डिक्री पृथक से जारी हो। तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ इसी अनुसार खाता विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 22.12.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।


ज्यायस्य न्यायस्य अधिकारी
एवं सूरतगढ़ (राजस्व) अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगगानगर)

(आ० 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकदम इब्तदाई

अज अदालत
बइजलास

- सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
- भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

अनवान :-

पूराराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान हाल वार्ड नं. 26, सूरतगढ़
तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) -वादी

बनाम

1. हजारीराम (फौत) पुत्र किशनाराम जाति जाट
 - 1/1. हनुमान पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 7, अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) (फौत)
 - 1/1/1. पानीदेवी धर्मपत्नी हनुमान जाति जाट साकिन अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
 - 1/1/2. सुशीला पुत्री हनुमान धर्मपत्नी मनोहरलाल जाति जाट साकिन निरवाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
 - 1/1/3. कविता पुत्री हनुमान धर्मपत्नी मुकेश मील जाति जाट साकिन निरवाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
 - 1/1/4. मन्जु कुमारी पुत्री हनुमान धर्मपत्नी राहुल पूनिया जाति जाट साकिन चक 18 एस.पी.डी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
 - 1/1/5. रमेश कुमार पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
 - 1/1/6. अशोक कुमार पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
 - 1/2. दलीप पुत्र हजारीराम जाति जाट साकिन वार्ड नं. 7, अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राज. हाल आबाद जे-405 गोल्डन डोमास जगतपुरा फाटक के पास, जयपुर
 - 1/3. अनिल पुत्र हजारीराम जाति जाट साकिन वार्ड नं. 7, अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राज. हाल आबाद के 2, 302 गोल्डन डोमास जगतपुरा फाटक के पास, जयपुर
 - 1/4. गोपालराम पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 5, अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. व्यवस्थापक, ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स वर्तमान पंजाब नेशनल बैंक, शाखा सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)



-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 53 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 226 वर्ष 2022 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादी श्री भगवान दत्त शर्मा व अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1/2 से 1/4 श्री शिशपाल शर्मा एवं पैरोकार राज के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार कर जैरवाद खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 13 एस.एल.डी. तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 92/30 के पत्थर नं. 64/379 (6) के किला नं. 16/0.253 है0, 25/0.253 है0 = 0.506 है0 कमाण्ड भूमि एवं चक अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के खाता सं. 140/36 के पत्थर नं. 62/380 (8) के किला नं. 6/0.253 है0, 11 से 15/1.265 है0, 17/1 में 0.228 है0, 18/2 में 0.202 है0, 19/2 में 0.190 है0, 20/1 में 0.139 है0 = 2.277 है0 व पत्थर नं. 63/380 (9) के किला नं. 1/1 में 0.228 है0, 2 से 9/2.024 है0, 13/0.253 है0, 15/0.253 है0 = 2.758 है0, कुल 5.035 है0

क्रमशः पेज 2 पर


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(2)

[डिक्री प्र.स. 226/2022 पूराराम बनाम हजारीराम (फौत) जरिये वारिसान हनुमान वगैरह व अन्य)

(3.517 है० नाली दोयम व 1.518 है० बारानी) भूमि व इसी चक अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 62/1 के पत्थर नं. 63/380 (9) के किला नं. 1/2 = 0.025 है० गै.मु.रास्ता, इस प्रकार उक्त तीनों खातों की कुल 5.566 है० भूमि का मुताबिक राजीनामा खाता विभाजन स्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार वादी पूराराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान हाल वार्ड नं. 26, सूरतगढ़ को उसको 1/2 हिस्सा भूमि में निम्न भूमि दी जाती है:-

(1) वादी पूराराम पुत्र बीरबलराम को दी जाने वाली भूमि - चक 13 एस.एल.डी. तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 92/30 के पत्थर नं. 64/379 (6) के किला नं. 16/0.253 है०, 25/0.253 है० = 0.506 है० कमाण्ड एवं चक अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के खाता सं. 140/36 के पत्थर नं. 62/380 (8) के किला नं. 11/0.152 है० बारानी (उत्तर-दक्षिण लम्बाई में व किला नं. 12 के चिपता), 12/0.253 है० बारानी, 13/0.253 है० नाली दोयम, 18/2 में 0.202 है० बारानी, 19/2 में 0.190 है० बारानी, 20/1 में 0.088 है० बारानी (उत्तर-दक्षिण लम्बाई में व किला नं. 19 के चिपता) = 1.138 है० (0.253 है० नाली दोयम व 0.885 है० बारानी) व पत्थर नं. 63/380 (9) के किला नं. 1/1 में 0.228 है० नाली दोयम, 2/0.127 है० नाली दोयम पश्चिम से पूर्व लम्बाई में (दक्षिणी पासा), 3/0.089 है० नाली दोयम (उत्तर-पूर्वी कोना व उत्तर से दक्षिण लम्बाई में), 8/0.164 है० नाली दोयम (उत्तर से दक्षिण लम्बाई में), 9/0.253 है० नाली दोयम, 13/0.253 है० नाली दोयम = 1.114 है० नाली दोयम, कुल 2.252 है० (1.367 है० नाली दोयम व 0.885 है० बारानी) व इसी चक अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 62/1 के पत्थर नं. 63/380 (9) के किला नं. 1/2 = 0.025 है० गै.मु. रास्ता, इस प्रकार उक्त तीनों खातों में कुल 2.783 है० खातेदारी कृषि भूमि।

(2) गोपालराम उर्फ गोपालचन्द वगैरह वारिसान हनुमानराम पुत्र हजारीराम को दी जाने वाली भूमि :- चक अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के खाता सं. 140/36 के पत्थर नं. 62/380 (8) के किला नं. 6/0.253 है० नाली दोयम, 11/0.101 है० बारानी (उत्तर से दक्षिण लम्बाई में व पत्थर नं. 63/380 के किला नं. 15 के चिपता), 14-15/0.506 है० नाली दोयम, 17/0.228 है० बारानी, 20/0.051 है० बारानी (पत्थर नं. 63/380 के किला नं. 16 के चिपता) = 1.139 है० व पत्थर नं. 63/380 (9) के किला नं. 2/0.126 है० नाली दोयम (पश्चिम से पूर्व लम्बाई में), 3/0.164 है० नाली दोयम (पश्चिम से पूर्व व उत्तर दक्षिण लम्बाई में), 4 से 7/1.012 है० नालीदोयम, 8/0.089 है० नाली दोयम (उत्तर दक्षिण लम्बाई में), 15/0.253 है० बारानी = 1.644 है०, कुल 2.783 है० (2.150 है० नाली दोयम व 0.633 है० बारानी) खातेदारी भूमि।

इसी अनुसार वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ इसी अनुसार खाता विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें।

नोजX..... मुबलिंगX..... बाबतX..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरहX..... फसदों की पालनाX.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिद्व मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 22/12/2025 को जारी की गई।



BS
उपसचिव अधिकारी
एन.सूरतगढ़ अदालत
सूरतगढ़